W.S.

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

2010 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नि0का0/एसएसए/सा0नि0का0/3494/2011–12 दिनांक: ~~सितम्बर~~ 2011 12/10/2011

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 की अनुपूरक कार्ययोजना अन्तर्गत नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली–2011 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011–12 की अनुपूरक कार्ययोजना एवं बजट में नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक–1 में अंकित है, जिसके सापेक्ष धनराशि शीघ्र उपलब्ध करायी जा रही है।

2. नवीन विद्यालयों के निर्माण कार्यों में सम्मिलित घटक एवं निर्माण हेतु इकाई लागत निम्नवत् है:

(क) नवीन प्राथमिक विद्यालय

(i) **मैदानी क्षेत्र में**	₹ 6,72,810 (जिसमें ₹ 3,87,000 विद्यालय भवन तथा ₹ 24,000 शौचालय, ₹ 32,000 हैण्डपम्प, ₹ 78,500 रसोईघर, ₹ 1,40,000 चहारदीवारी तथा ₹ 11,310 विद्युतीकरण हेतु)
(ii) **पठारी क्षेत्र में**	₹ 6,90,210 (जिसमें ₹ 3,87,000 विद्यालय भवन तथा ₹ 24,000 शौचालय, ₹ 49,400 हैण्डपम्प, ₹ 78,500 रसोईघर, ₹ 1,40,000 चहारदीवारी तथा ₹ 11,310 विद्युतीकरण हेतु)

(ख) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

(ii) **मैदानी क्षेत्र में**	₹ 9,01,188 (जिसमें ₹ 7,49,000 विद्यालय भवन तथा ₹ 24,000 शौचालय, ₹ 32,000 हैण्डपम्प, ₹ 78,500 रसोईघर तथा ₹ 17,688 विद्युतीकरण हेतु)
(ii) **पठारी क्षेत्र में**	₹ 9,18,588 (जिसमें ₹ 7,49,000 विद्यालय भवन तथा ₹ 24,000 शौचालय, ₹ 49,400 हैण्डपम्प, ₹ 78,500 रसोईघर तथा ₹ 17,688 विद्युतीकरण हेतु)

3. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली की धारा 4.1 के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित है:

- **प्राथमिक विद्यालयः** कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1:00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।
- **उच्च प्राथमिक विद्यालयः** कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3:00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।

4. **नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उन्हीं असेवित बस्तियों में खोले जायें जो आपके द्वारा कराये गये सर्वे में उक्त मानक के अनुसार पात्र पायी गयी हैं तथा आपके द्वारा सप्लीमेन्ट्री प्लान में दी गयी सूची में उल्लिखित हैं।**
5. नियमावली में निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार ही पात्र बस्तियों में नवीन विद्यालय खोले जायें। निर्धारित मानक से विचलन होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना ऐसी बस्ती में की जाती है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय पूर्व से ही संचालित है तो यथासम्भव नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही स्थापित किये जायें।
7. शौचालय में टाइल्स की व्यवस्था भी की जायेगी, जिसके लिये डिज़ाइन पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है।
8. हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य भी साथ–साथ ही कराया जाये जिससे निर्माण कार्य में पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हैण्डपम्प अधिष्ठापन की धनराशि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन के अनुसार चयनित कार्यदायी संस्था को इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।
9. यह ध्यान रखा जाये कि <u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य भूकम्परोधी प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा। भवन में निर्माण की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की हो तथा प्रत्येक भवन के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निर्माण प्रभारी व जिला समन्वयक(निर्माण) का होगा।</u>
10. नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु असेवित बस्तियों का औपचारिक चयन आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी असेवित पात्र बस्तियों की सूची में से सक्षम समिति से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करा लें तथा विद्यालय संचालन हेतु प्रभारी शिक्षक नियुक्त करें। इसके साथ ही सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति का खाता खुलवाकर अवमुक्त की जा रही धनराशि उस खाते में हस्तान्तरित कर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
11. एक अध्यापक को केवल एक ही विद्यालय भवन के निर्माण का दायित्व दिया जाये। एक से अधिक भवनों का निर्माण एक ही अध्यापक से कदापि न कराया जाये।
12. निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व प्रत्येक वार्ड/ग्राम शिक्षा समिति विशेष रूप से वार्ड के सभासद/ग्राम प्रधान व विद्यालय प्रभारी को निर्माण कार्य मार्गनिर्देशिका के आधार पर साईट पंजिका तथा अन्य अभिलेख रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाये। निर्देशिका के आधार पर भूकम्परोधी निर्माण कार्य हेतु निर्माण प्रभारी को समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाये। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन डिजाइन के मैनुअल की प्रतियां एवं सी0डी0 जनपद को गत् वर्ष में उपलब्ध करायी जा चुकी हैं, उन्हीं मैनुअल की छायाप्रति कराकर प्रत्येक निर्माण स्थल एवं ग्राम प्रधान के पास अवश्य उपलब्ध

करायी जाये। निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार सुनिश्चित किया जाना आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है।

13. जिला समन्वयक(निर्माण) नवीन विद्यालय भवनों का तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 389/15–5–2002–31/2002 दिनांक 20 मार्च, 2002 तथा शासनादेश संख्या 2085/79–5–2004–31/ 2002 दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुसार अवर अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं का नामांकन कराकर कार्यवाही की जानी है।
14. निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण जिला समन्वयक (निर्माण), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाये। प्रत्येक माह जिला समन्वयक (निर्माण) प्रत्येक विद्यालय के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
15. विद्यालय भवनों के निर्माण के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के प्रोक्योरमेन्ट एवं वित्तीय मैनुअल के प्रावधान का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. **नवीन विद्यालयों का संचालन एवं निर्माण कार्य राज्य परियोजना कार्यालय से धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्तर्गत पारदर्शिता के साथ विशिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक दशा में प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक दशा में 31.03.2012 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।**

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार नवीन विद्यालयों के खोलने एवं निर्माण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराने का कष्ट करें तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या मासिक समीक्षा बैठक में नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नि0का0/एसएसए/बजट/ 3494 /2011–12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी समय–समय पर भवन निर्माण की प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच कराने का कष्ट करें।
2. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(एसएसए), राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

Supplimentary Plan 2011-12 : Civil Work Targets (Primary & Upper Primary Schools)

District	New primary schools (Plain)	New primary schools (Hilly/ Rocky)	Total PS	Upgraded UPS (Plain)	Upgraded UPS (Hilly/ Rocky)	Total UPS
1-Agra	289		289	113		113
2-Aligarh	96		96	4		4
3-Allahabad	148		148	17		17
4-Ambedkar Nagar	140		140	3		3
5-Auraiya	31		31	0		0
6-Azamgarh	198		198	3		3
7-Badaun(A)	51		51	13		13
8-Baghpat(A)	0		0	8		8
9-Baharaich	226		226	15		15
10-Balia	198		198	13		13
11-Balrampur(A)	323		323	2		2
12-Banda		74	74		24	24
13-Barabanki	247		247	45		45
14-Bareilly(A)	42		42	8		8
15-Basti	196		196	7		7
16-Bhadohi	94		94	0		0
17-Bijnor	47		47	21		21
18-Buland Shahar	11		11	4		4
19-Chandauli	12	3	15	5	1	6
20-ChhatrapatiSMNagar	308		308	19		19
21-Chitrakoot	104		104	19		19
22-Deoria	181		181	43		43
23-Etah	171		171	8		8
24-Etawah	51		51	3		3
25-Faizabad	202		202	0		0
26-Farrukhabad	130		130	8		8
27-Fatehpur	194		194	64		64
28-Firozabad(B)	142		142	4		4
29-GBNagar	7		7	4		4
30-Ghaziabad	3		3	4		4
31-Ghazipur	234		234	35		35
32-Gonda	364		364	24		24
33-Gorakhpur(B)	117		117	5		5
34-Hamirpur	4		4	7		7
35-Hardoi(A)	303		303	30		30
36-Hathrus	94		94	15		15
37-Jalaun	0		0	0		0
38-Jaunpur(B)	169		169	22		22
39-Jhansi		38	38		28	28
40-JPNagar	33		33	7		7
41-Kannauj	167		167	8		8
42-KanpurDehat	47		47	1		1
43-KanpurNagar	53		53	0		0

Supplimentary Plan 2011-12 : Civil Work Targets (Primary & Upper Primary Schools)

District	New primary schools (Plain)	New primary schools (Hilly/ Rocky)	Total PS	Upgraded UPS (Plain)	Upgraded UPS (Hilly/ Rocky)	Total UPS
44-KanshiramNagar	84		84	8		8
45-Kaushambi	56		56	1		1
46-Kushinagar (B)	400		400	21		21
47-Lakhimpur	407		407	5		5
48-Lalitpur(A)	131		131	11		11
49-Lucknow	20		20	2		2
50-Maharajganj	207		207	35		35
51-Mahoba	12		12	4		4
52-Mainpuri	138		138	5		5
53-Mathura (B)	105		105	24		24
54-Mau	31		31	0		0
55-Meerut	3		3	2		2
56-Mirzapur		127	127		5	5
57-Moradabad(A)	26		26	8		8
58-Muzaffar Nagar	24		24	0		0
59-Pilibhit	35		35	4		4
60-Pratapgarh	329		329	9		9
61-RaiBareilly(A)	536		536	26		26
62-Rampur	43		43	3		3
63-Saharanpur	26		26	20		20
64-SKNagar	70		70	2		2
65-Shahjahanpur (B)	119		119	3		3
66-SiddharthNAgar(A)	375		375	68		68
67-Sitapur	342		342	35		35
68-Sonebhadra		499	499		30	30
69-Srawasti(A)	60		60	0		0
70--Sultanpur	344		344	12		12
71-Unnao	266		266	45		45
72-Varanasi (B)	7		7	0		0
Total	**9623**	**741**	**10364**	**964**	**88**	**1052**